भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 585
जिसका उत्तर गुरुवार, 02 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

राजद्रोह संबंधी कानून की सीमाएं निर्धारित करना

585 डा. वी. शिवादासन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार को राजद्रोह संबंधी कानून की सीमा निर्धारित करने हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार का इरादा राजद्रोह के आरोपों के लिए स्पष्ट दायरा निर्धारित करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 124क राजद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है वह स्पष्ट रूप से उस परिधि और क्षेत्र का अभिविन्यास करती है जो राजद्रोह के अपराध का गठन करता है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 124क को असंवैधानिक या शून्य घोषित करने के लिए निदेश चाहते हुए भारत संघ को नोटिस जारी किया है और मामला विचाराधीन है ।

****